

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्वात्व खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

उक्त क्रमांक 398 दिनांक 02/12/2020

जी + 1
आवासीय

श्रीमान ① राजू बोराना एन ② श्रीमती बेबी लता बोराना
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No: सी-3/8 ए व बी शरणादा
धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश सहजी भण्डी व आई आई टी के माफे
कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 10307/- जमा
जरिये रसीद संख्या 9069/3639/3640
दिनांक 02/12/2020 को जमा करा दी है ।

02/12/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर



9799262887

(दिनांक)